पंजीकृत संख्या 72/54–55 ।। वन्दे मातरम्।। Tel. 0141-2377799
Web site: www.rssrashtriya.org E- mail: rss.rashtriya@gmail.com

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)

कार्यालय : 82, पटेल कॉलोनी, गवर्नमेन्ट प्रेस के पास, सरदार पटेल मार्ग, जयपुर–302001
संरक्षक : सर्वश्री नानक कुन्दनानी, संतोष चन्द्र सुराणा, चौथमल सनाढ्य, राजनारायण शर्मा, श्री रामावतार शर्मा
(Regd. & Recognised by Govt. & Affiliated to ABRSM, AIPTF, AISTF, E.I. & RRKM)

सम्पत सिंह	नटवर लाल पांचाल	प्रहलाद शर्मा	अरविन्द व्यास
अध्यक्ष	सभाध्यक्ष	संगठन मंत्री	महामंत्री
मो. 94133–44625	मो. 94143–52597	मो. 94140–56109	मो. 94143–96596

प्रेस विज्ञप्ति

23 हजार पातेय वेतन उप्रावि प्रधानाध्यापकों के साथ न्याय करे शिक्षा विभाग!

'पुराने नियमो से पदोंन्नति देकर, नए नियमो को बेक डेट से लागू कर किया पदोंन्नति से वंचित'

जयपुर। 1जनवरी 2021 ।। राजस्थान राज्य में सन 2009–10 में क़रीब 23000 उप्रावि प्रधानाध्यापको को पातेय वेतन पर पदोन्नत किया गया। इन्हें उनकी पातेय वेतन पर पदोन्नति दिनांक से करीब 10 वर्ष बीत जाने के बाद भी उन्हें सेकेंड ग्रेड व आगामी वरिष्ठता का लाभ नही दिया है ऐसे में राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के शिक्षको में भारी नाराजगी व्याप्त है।

राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) के महामंत्री श्री अरविंद व्यास ने बताया कि राजस्थान राज्य में लगभग 23000 शिक्षकों को थर्ड ग्रेड से सैकण्ड ग्रेड मे पदोन्नति पातेय वेतन पर कार्मिक विभाग शिक्षा ग्रुप–2 के दिनांक 18–09–2009 के आदेशानुसार प्रदान की गई।जिसके बाद उन सभी के पदनाम और स्कूल बदल दिये गये। क्योंकि उक्त पदोन्नति सक्षम स्तर के अधिकारी शिक्षा उपनिदेशक संभाग के लिखित आदेशों से हुई। राजस्थान में शिक्षा विभाग के लिए 29–30 मार्च 2011 को गज़ट नोटिफिकेशन जारी किया गया और 2013 मे 'स्टेट एजुकेशन रूल्स' बनाये। उनमे ग्रेड थर्ड से सैकण्ड ग्रेड हेतु पदोन्नति नियमावली को बदलने का उल्लेख नही था। लेकिन मार्च 2016 मे केवल थर्ड ग्रेड हेतु पदोन्नति नियमावली को बदलकर डी पी सी विषयवार की गई। जिससे एक वरिष्ठता सूची के स्थान पर 6 वरिष्ठता सूचियां अलग–अलग बनाई गई और सन 2018 से उसे 7 प्रकार की सूचियों में बनाई जाने लगी। जबकि 1971 से 2016 तक पदोन्नति देने हेतु वरिष्ठता (सीनियरिटी) की एक ही सूची बनती रही।

श्री व्यास बताया कि राजस्थान के शिक्षा विभाग मे 1971 से 2016 तक थर्ड से सैकण्ड ग्रेड मे पदोन्नति देने हेतु जिलेवार मेरिट बनाकर जिलेवार ही पदोन्नति दी जाती थी। जिसे मार्च 2016 मे बदलकर जिला मेरिट के बजाय मण्डल (शिक्षा मण्डल/कमिश्नरेट लेवल/सम्भाग के लगभग) के 4–5 जिलों को मिलाकर सीनियरिटी लिस्ट बनाने लगे। इसी फेरबदल को पातेय वेतनधारी उप्रावि प्रधानध्यापको पर बेक डेट में लागू करने से ये प्रभावित हुए।

पदोंन्नति के बाद बेक डेट में नए नियम लागू करना अन्ययपूर्ण

संगठन के प्रदेशाध्यक्ष श्री सम्पतसिंह ने बताया कि पदोन्नति नियमावली को 2013 मे संशोधित किया और मार्च 2016 से अमल मे लाये से परन्तु इन्ही नियमो को 2008 से लागू होना दर्शाया जाकर ही पातेय वेतन पर मिली पदोन्नति 2009–10 को छीन लिया जो अनुचित है।

श्री सम्पतसिंह ने कहा कि राजस्थान मे आर टी ई एक्ट 2009 जो राजस्थान में 01अप्रेल 2010 से अंगीकार किया गया, उक्त अवधि मे बने नियमो को **Non Right to education act period** 2008 से लागू करना भी केन्द्रीय अधिनियम की 38 धाराओं का उल्लंघन करना है। जो राज्य के अधिकार क्षैत्र से बाहर है। केन्द्र सरकार के आरटीई अधिनियम जिसमे राज्यो को केवल धारा 35 मे ही सीमित अधिकार है शेष 37 धाराओं मे राज्यों को फेरबदल का अधिकार नही है फिर भी शिक्षा विभाग ने 2013 मे बने नियम और किये संशोधन को बेक ईयर 2008 से लागू किया जो अनुचित है। सन 2008 से रिक्त पदों की सीनियरिटी का लाभ उन शिक्षकों को दिया जो मार्च 2016 मे एवं उसके बाद ही थर्ड से सैकण्ड ग्रेड मे पदोन्नत हुए थे। जबकि 2008 से 2013 व 2016 तक पदोन्नति की सीनियरिटी के लाभ के हकदार वे शिक्षक थे जो पुरानी नियमावली वरिष्ठता सह योग्यता पदोन्नति नियमावली 1971 से पदोन्नति पाते।

परन्तु उक्त अवधि 2008 से 2016 की सीनियरिटी का लाभ नवीन नियमावली योग्यता सह वरिष्ठता पदोन्नति एवं मण्डल स्तर की वरीयता से सन 2016 में पदोन्नत हुए सेकेंड ग्रेड शिक्षको को सन 2008 से बिना पद के व सेवाएं दिये बगैर ही प्रदान किया जो अनुचित और विधि विरूद्ध है।

पातेय वेतन पर पदोन्नत शिक्षको के साथ हुआ धोखा बर्दाश्त योग्य नही

संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री श्री प्रहलाद शर्मा ने कहा कि राजस्थान मे पातेय वेतन पर पदोन्नति उपनिदेशक स्तर पर की गई जो सैकण्ड ग्रेड पदोन्नति के सक्षम अधिकारी है। डीडी के हस्ताक्षर व लिखित आदेश से इनकी नियुक्ति हुई। जबकि पातेय वेतन पदोन्नति को मार्च 2016 मे छीनते समय किसी भी प्रकार का लिखित आदेश सक्षम डी डी कार्यालय ने जारी नही किये। बल्कि शाला दर्पण पोर्टल पर पातेय वेतन विकल्प नही देकर और पातेय वेतन सैकण्ड ग्रेड को सैकण्ड ग्रेड के बजाय थर्ड ग्रेड मे दर्शाकर शिक्षकों के साथ धोखा किया। जिसका लिखित आदेश आज तक किसी भी सक्षम अधिकारी ने जारी नही किया है और उस पद और स्कूल से पातेय वेतन वालो को हटाने के लिए जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश से हटाया गया जो सैकण्ड ग्रेड के टीचर के लगाने या हटाने के लिए सक्षम नही है। फिर भी नियमो से परे जाकर आदेश जारी किये। जो विसंगतियुक्त होकर विधि विरूद्ध है। ऐसे में इन शिक्षको के साथ अन्याय हुआ है।

श्री शर्मा ने कहा कि पातेय वेतन पदोन्नत उक्त अध्यापक सीनियरिटी के आधार पर पदोन्नत हुए थे। जिनमे 1981 से 1990 के आस–पास की नियुक्ति वाले अधिक होने से पातेय वेतन पर ही रिटायर भी हो रहे है। जबकि पूरे सेवाकाल मे न्यूनतम दो पदोन्नतियां देना शिक्षा संहिता (Education code) & RSR(Rajasthan service rules) के अनुसार आवश्यक है। परन्तु पातेय वेतन पदोन्नति को 2016 मे छीन लेने के आधार पर पातेय वेतन वालो को बिना एक भी पदोन्नति पाये ही रिटायर होना पड रहा है जो शिक्षा संहिता एवं RSR के नियमो का खुला उल्लंघन है। ऐसा करना विधि विरूद्ध होकर मनमानी है। इस मामले में संज्ञान लेना चाहिए।

विभागीय नियम, अधिनियम व कोर्ट निर्णयो की पालना इन पर भी कर देवे पदोन्नति

संगठन के वरिष्ठ उपाध्यक्ष श्री नवीन शर्मा ने बताया कि राजस्थान के पातेय वेतन पदोन्नत 2009–10 वालो को इसी प्रकार एवं इसी पद वाले पूर्व के कोर्ट फैसले **Civil Writ no RLW** 263/1985 श्री के एन भटनागर बनाम भारतीय संघ पातेय वेतन प्रधानाध्यापक सैकण्ड ग्रेड को पातेय वेतन पदोन्नति दिनांक से उक्त पद के समस्त लाभ प्रदान किये थे। वैसे ही लाभ 2009–10 में पातेय वेतन पदोन्नत शिक्षको को उनकी पदोन्नति नियुक्ति दिनांक से दिया जावे।

श्री शर्मा ने बताया कि संस्कृत शिक्षा विभाग के पातेय वेतनधारियों के केस श्री विजय कुमार डामोर बनाम राजस्थान संस्कृत शिक्षा विभाग के मामले में सन 2006 के फैसले के अनुसार पातेय वेतन पर पदोन्नति दिनांक से लाभ देने तथा भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 व 16 के अनुसार जिस पद पर कार्य किया उस पद के वेतन का लाभ दिए जाने का हकदार माना है। उसी के अनुसार इन्हें भी 2009–10 से पदोन्नति के समस्त लाभ दिए जाने चाहिए।

पातेय वेतनधारियो पर पूर्व के नियम लागू कर दी जावे राहत

संगठन के अतिरिक्त प्रदेश मंत्री श्री महेंद्र लखारा ने बताया कि शिक्षक पद से पदोन्नति पाने वाले सभी शिक्षा विभागीय लोकसेवको हेतु समान पदोन्नति नियमावली को समान रूप से पुनः लागू किया जावे। जैसा कि 1971 से 2016 तक लागू रही थी। योग्यता सह वरिष्ठता पदोन्नति नियमावली 1971 को सभी ग्रेड्स के शिक्षको हेतु समान रूप से पुन लागू किया जावे। ज्ञातव्य रहे कि 2016 से ही इस पदोन्नति नियमावली को केवल एक ग्रेड के शिक्षकों थर्ड से सैकण्ड ग्रेड हेतु बदलकर योग्यता सह वरिष्ठता पदोन्नति नियमावली को लागू कर दिया गया जो संभवतः चपरासी से लिपिक पद पर पदोन्नति देने हेतु प्रयुक्त की जाती है। इसे शिक्षकों के लिए लागू करने हेतु योग्यता का आशय विषयवार यथा हिन्दी, गणित, विज्ञान, अंग्रेजी, संस्कृत, सामाजिक विषय एवं एग्रीकल्चर व कॉमर्स वाले टीचर के लिए सामान्य विषय मानकर पदोन्नति देने के रूप मे प्रयुक्त किया गया जो कि अनुचित है। जबकि अन्य ग्रेड्स हेतु आज भी वरिष्ठता सह पदोन्नति नियमावली 1971 को ही लागू रखा गया है। जिसे 1971 से 2016 तक मे नियुक्त थर्ड ग्रेड के शिक्षको पर लागू कर उन्हें सैकण्ड ग्रेड वरिष्ठ अध्यापक के पद पर पदोन्नति प्रदान कर राज्य के 23000 पातेय वेतन पर पदोन्नती व वरिष्ठता का लाभ प्रदान कर राहत प्रदान की जावे।

आशीष त्रिवेदी

(आशीष त्रिवेदी)
संयोजक – मीडिया प्रकोष्ठ
राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय)